



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(बी-4 कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016)

एफ.1(50)/ल.ब.स.रा.सं.वि./सा.प्र. /2024-25/2026/1514

दिनांक: 18.12.2025

19

कार्यालय आदेश

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान 2025-26 एक 100-दिवसीय राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है, जो 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसका लक्ष्य बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना, जागरूकता बढ़ाना और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

क्र.सं.	विषय	विवरण	स्थान, दिनांक एवं समय	संयोजक/ निर्णायक
01	"बाल विवाह मुक्त भारत"	वाद-विवाद प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता	कक्ष संख्या 03 शैक्षणिक सदन, दिनांक 30.12.2025, पूर्वाह्न 11:30 बजे से	1. प्रो० मार्कंडेय नाथ तिवारी 2. सहायक प्रो० दिनेश यादव 3. डॉ० धर्मपाल प्रजापत 4. डॉ० विजय गुप्ता (संयोजक)
02	शपथ ग्रहण (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से) https://pledge.mygov.in/bal-vivah-mukht-bharat/	मैं अपने समुदाय में बाल विवाह नहीं होने दूंगा/दूंगी इसकी शपथ (Pledge) ग्रहण विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों तथा छात्रों हेतु	योगसभागार दिनांक 31.12.2025 मध्याह्न 12:00 बजे	माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में प्रो० मार्कंडेय नाथ तिवारी तथा सहायक प्रो० दिनेश यादव के सहयोग से
03	जागरूकता सत्र का आयोजन	- छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के नुकसान के बारे में शिक्षित करना - बाल विवाह को रोकना, बालिकाओं को सशक्त बनाना, और 'विकसित भारत' के लक्ष्य में योगदान देना पर आख्यान - बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) कानून के बारे में शिक्षित करना - बाल विवाह की सूचना देने के लिए 1098, 181, 100 जैसे हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार	स्वर्ण जयंती सदन के बेसमेंट हॉल (स्वामीविवेकानन्द सभागार) में दिनांक 15.01.2026 मध्याह्न 12:00 बजे	1. प्रो० मार्कंडेय नाथ तिवारी 2. सहायक प्रो० दिनेश यादव 3. डॉ० धर्मपाल प्रजापत 4. डॉ० विजय गुप्ता
04		बाल विवाह को रोकना के सम्बन्ध में धार्मिक विद्वानों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को जागरूक करना	विश्वविद्यालय परिसर में स्थित देवालय दिनांक 20.01.2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे	
05		स्थानीय क्षेत्र को बाल विवाह मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रेरित करना	विश्वविद्यालय के आस-पास का क्षेत्र दिनांक 04.02.2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे	

यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा रहा है।

मास्ती निवासी

सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

प्रतिलिपि:

- (1) प्रो० मार्कंडेय नाथ तिवारी (छात्र-कल्याण पीठ प्रमुख), डॉ० दिनेश यादव, सहायक आचार्य (सह- छात्र-कल्याण पीठ प्रमुख), डॉ० धर्मपाल प्रजापत तथा डॉ० विजय गुप्ता (संयोजक)
- (2) छात्रावास अधिष्ठाता
- (3) उप-कुलसचिव (लेखा)/ जन संपर्क अधिकारी/ विशेष कार्यधिकारी (कुलपति)
- (4) अधिशासी अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि बिजली उपकरण, माइक इत्यादि तथा कमरा खुलवाने हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें।
- (5) संगणक केंद्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें एवं उपरोक्त कार्यक्रम में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की सुविधा तथा इस कार्यक्रम के विषय में शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करेंगे।
- (6) निजी सचिव- कुलपति/ कुलसचिव/ वित्ताधिकारी
- (7) डॉ० दिनेश यादव, सहायक आचार्य (सह-छात्र-कल्याण पीठ प्रमुख), "नोडल अधिकारी" मन्त्रालय की वेबसाइट (<https://stopchildmarriage.wcd.gov.in/campaign>) पर कार्यक्रम की सम्पूर्ण रिपोर्ट (Action Taken Report) एवं सम्बन्धित सामग्री को अपने संकाय प्रमुख कार्यालय के सहायक के सहयोग से अपलोड करेंगे।
- (8) डॉ० विजय गुप्ता संयोजक इस कार्यक्रम के लिए स्वयं अग्रिम राशि लेकर पुरस्कार वितरण, बैनर बनवाने इत्यादि कार्यों को करेंगे।
- (9) संबंधित पत्रावली

मार्कंडेय नाथ

सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

Sh. Sachin
Sh. Sameer *Sam*
19/12/22

Pledge Against Child Marriage

Child marriage is a social evil and a violation of law that hampers girls' education, protection, health and development, and prevents them from realising their dreams.

Therefore, I pledge to...

- Make every possible effort against child marriage.
- Ensure that no child marriage takes place in my family, neighbourhood, or community.
- Report any attempt of child marriage to the Panchayat and the government authorities.
- Raise my voice for the education and safety of all children and I support the creation of a Child Marriage Free Bharat.

बाल विवाह के खिलाफ शपथ

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है, जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है, तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है।

इसलिए, मैं शपथ लेता/ लेती हूँ कि ...

- मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगा/ करूँगी।
- मैं सुनिश्चित करूँगा/ करूँगी कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न हो।
- मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूँगा/ दूँगी।
- मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूँगा/ करूँगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूँगा/ करूँगी।
